रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16072024-255471
CG-DL-E-16072024-255471

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2636] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 15, 2024/आषाढ 24, 1946
No. 2636] NEW DELHI, MONDAY, JULY 15, 2024/ASHADHA 24, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2024

का.आ. 2772(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2146 (अ), तारीख 6 जुलाई, 2017 द्वारा अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) पैरा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"**5. मानीटरी समिति. –** केंद्रीय सरकार एक समिती का गठन करेगी, जिसे मानीटरी समिति कहा जाएगा, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

(1)	उपायुक्त, तामेंगलांग जिला	अध्यक्ष, पदेन;
(2)	क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर योजनाकार	सदस्य, पदेन;

(3)	ज्येष्ठ पर्यावरण इंजीनियर, मणिपुर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ईम्फाल	सदस्य, पदेन;
(4)	पर्यावरण या वन्यजीव के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) तीन वर्ष की अवधि के लिए मणिपुर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(5)	वन्यजीव या पारिस्थितिकी या पर्यावरण में प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि के लिए मणिपुर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(6)	मणिपुर राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य	सदस्य, पदेन;
(7)	प्रभागीय वन अधिकारी, तामेंगलांग	सदस्य सचिव, पदेन;

(ख) पैरा 6 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्:-

6. मानीटरी समिति के कार्य.-(1) मानीटरी समिति, वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी जो कि भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ) की अनुसूची में शामिल हैं और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आते हैं, सिवाय उसके जो पैरा 4 के अधीन दी गयी सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप हैं और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय अनुमति के लिए, यथास्थिति, भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण के पास निर्दिष्ट किए गये हैं।

(2) ऐसे क्रियाकलाप, जो उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में शामिल नहीं है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आते हैं, उसके पैरा 4 की सारणी में प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, की संवीक्षा मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के आधार पर की जायेगी और इन्हें संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों के पास निर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) मानीटरी समिति के सदस्य-सचिव या संबद्ध उप आयुक्त या उप वन संरक्षक, इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।

(4) मानीटरी समिति मामले-दर-मामले के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर करते हुए अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संगमों के प्रतिनिधि या पणधारियों को आमंत्रित कर सकती है।

(5) मानीटरी समिति, प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि की अपनी गतिविधियों की वार्षिक क्रियाकलाप रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध-IV** में विनिर्दिष्ट प्रो-फार्मा में प्रस्तुत करेगी।

(6) केंद्रीय सरकार अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए मानीटरी समिति को लिखित रूप में ऐसे निदेश दे सकती है, जैसा वह उचित समझे।"

[फा. सं. 25/2/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक ''जी''

टिप्पण.-मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में तारीख 06 जुलाई, 2017 को, अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2146 (अ); द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2024

S.O. 2772(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 2146(E), dated the 06th July, 2017, namely:-

In the said notification, —

(a) for paragraph 5, - the following paragraph shall be substituted, namely: -

"5. **Monitoring Committee**. — The Central Government constitutes a Committee to be known as Monitoring Committee which shall comprise of the following persons namely:

(1)	Deputy Commissioner, Tamenglong District	Chairman, *ex officio;*
(2)	Senior Town Planner of the area	Member, *ex officio;*
(3)	Senior Environment Engineer, Manipur State Pollution Control Board, Imphal	Member, *ex officio;*
(4)	One representative of a Non-Governmental Organisation working in the field of Environment or Wildlife (including heritage conservation) nominated by the State Government of Manipur for a period of three years	Member;
(5)	One expert in wildlife or ecology or environment nominated by the State Government of Manipur for a period of three years	Member;
(6)	Member, Manipur State Biodiversity Board	Member, *ex officio;*
(7)	Divisional Forest Officer, Tamenglong	Member Secretary, *ex officio;*

(b) for paragraph 6, - the following paragraph shall be substituted, namely: —

"6. **Functions of the Monitoring Committee.—**(1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (1) and are falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite a representative or expert from the Department, a representative from the industry associations or stakeholders to assist the committee in its deliberations depending on the requirements on a case to case basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the action taken report of its activities annually for the period up to the 31st March of every year to the Chief Wildlife Warden of the State by the 30th June of that year in proforma specified in Annexure-IV.

(6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions."

[F. No. 25/2/2015-ESZ-RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist "G"

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 2146(E), dated the 06th July, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.07.16 22:25:39 +05'30'